मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश

1, तिलक मार्ग, लखनऊ 226001।

संख्या:डीजी परिपत्र-12/2018 दिनांक:लखनऊ:मार्च 20, 2018

सेवा में,

1-**पुलिस महानिदेशक/अपर पुलिस महानिदेशक,**
फायर सर्विस/प्रशिक्षण/ई0ओ0डब्लू0/प्रोन्नति एवं भर्ती बोर्ड/दूरसंचार/तकनीकी सेवायें/ रेलवे/सीबीसीआईडी/अभिसूचना/भ्र0नि0सं0/विशेष जाँच/पीएसी/यातायात/रेलवे/उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय/एस0आई0टी0/विशेष अनुसंधान शाखा सहकारिता, उ0प्र0।

2-**समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0।**

3-**समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक, उ0प्र0।**

4-**समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक प्रभारी जनपद, उ0प्र0।**

विषय:-मा0 न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों का अनुपालन समयान्तर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित अवमानना वाद संख्या:6099/2017, बलीराम बनाम श्री विकास पाण्डेय, तहसीलदार सदर व अन्य में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.12.2017 के सम्बन्ध में गृह(पुलिस) अनुभाग 13, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या:124/6 पु 13 2018 दिनांक 12.03.2018 में राजस्व अनुभाग 2 के पत्र दिनांक 18.01.2018 में की गयी अपेक्षानुसार समयान्तर्गत निम्नलिखित कार्यवाही कराये जाने हेतु समस्त को निर्देशित करने का कष्ट करें:

(1) जब भी किसी व्यक्ति विशेष द्वारा सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रत्यावेदन आदि प्रस्तुत किया जाय तो उसका सक्षम स्तर पर संज्ञान लेकर समयबद्ध ढंग से विस्तृत, वस्तुपरक एवं नियमसंगत निस्तारण किया जाय।

(2) रिट याचिका/विशेष अनुज्ञा याचिका/अपील आदि दायर होने पर तत्काल प्रतिशपथ-पत्र दाखिल कराया जाय।

(3) मा0 न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों की प्रतियाँ प्राप्त होने के विलम्बतम 07 कार्य दिवसों में समक्ष स्तर द्वारा अनुपालन करने तथा यथावश्यकता विभागीय हितों के दृष्टिगत विशेष/अपील/विशेष अनुज्ञा याचिका आदि यथा स्थिति दाखिल करने से सम्बन्धित निर्णय लिया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(4) मा0 न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों की प्रत्येक स्तर पर मासिक समीक्षा की जाय तथा अधीनस्थों से प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिया जाए कि प्रस्तुत किये गये प्रकरण के अतिरिक्त मा0 न्यायालयों के अन्य कोई आदेश कार्यवाही हेतु अवशेष नही है।

(5) सम्बन्धित अधिकारियों से इस आशय का प्रमाण-पत्र भी प्राप्त कर लिया जाय कि मा0 न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों का अनुपालन किया जा चुका है।

(6) मा0 न्यायालयों के आदेशों के अनुपालन में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध कार्यवाही की जाय।

आपको निर्देशित किया जाता है कि आप उपर्युक्त निर्देशों का कठोरता पूर्वक अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें ताकि मा0 न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में अवमानना की स्थिति उत्पन्न न हो।

उपर्युक्त निर्देशों के अनुपालन में किसी भी प्रकार की शिथिलता क्षम्य नही होगी।

30/3/18

(ओ0पी0 सिंह)
पुलिस महानिदेशक
उत्तर प्रदेश।

012